

वनमण्डलाधिकारी का अभिमत

1	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे, यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावें।	11 KV Line Extention work for Sailani Resort of MP Tourism Development Corporation Ltd. परियोजना के संचालन के लिए 0.2681 हेक्टेयर वनभूमि सामान्य वनमण्डल खण्डवा की प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रभावित रकबा 0.2681 हेक्टेयर वनभूमि आवेदक संस्था को उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
---	--	--

(देवाशु शेखर)
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य खण्डवा वनमण्डल